भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3210
दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बारामूला में जेजेएम की प्रगति

†3210. श्री अब्दुल रशीद शेखः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) बारामूला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) और जेजेएम 2.0 की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है;
(ख) इसके तहत प्रदान किए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) का प्रतिशत और संख्या कितनी है; और
(ग) शेष योजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समयावधि क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) पेयजल 'राज्य' का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार मिशन के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की मदद करती है।

भारत सरकार अगस्त 2019 से जम्मू और कश्मीर सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जेजेएम-हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। मार्च 2026 में केंद्रिय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय के साथ दिसंबर, 2028 तक जेजेएम के विस्तार और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर द्वारा सूचित किए गए अनुसार, बारामूला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कुल 3,18,600 परिवारों में से लगभग 77% (2,44,337) परिवारों में नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, बारामूला निर्वाचन क्षेत्र में 2,073.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 525 जलापूर्ति योजनाएं हैं और इसमें से 1,233.28 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है। इन 525 योजनाओं में से 250 योजनाएं वास्तविक रूप से पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 275 योजनाएं कार्यनिष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। जेजेएम 2.0 के विस्तार की समय-सीमा के अनुसार इन योजनाओं के दिसंबर 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है।

जेजेएम के तहत, यह विभाग केवल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जिला-वार निधि आवंटन और अनुरक्षण किया जाता है। जेजेएम के पहले चरण के तहत, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर को 18,514.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से केवल 6,496.48 करोड़ रुपये निकाले गए थे। जेजेएम 2.0 के तहत, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, संघ राज्य क्षेत्र को 905.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 116.06 करोड़ रुपये की मूल स्वीकृत राशि संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई है।
